

विद्यालय निदेशक (मुख्य) हरियाणा, चण्डीगढ़

संख्या क्रमांक 23/353-99वि0/21

दिनांक:-26/11/99

विद्यालय निदेशक (मुख्य) हरियाणा की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के निर्देशों के अन्तर्गत हरियाणा के विद्यालयों में 1999-2000 के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय को वर्ष 1999-2000 के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।
2. विद्यालय के प्रधानाचार्य आगामी वर्ष 2000-2001 में अस्थाई मान्यता प्राप्त करने के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संपन्न कराएंगे।
3. हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1999 की धारा 4 की संधि के अन्तर्गत विद्यालय को पुरा करेगा तथा इसके तहत जो भी नियम बनेंगे विद्यालय उनकी पालना करेगा अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।
4. विद्यालय समक-2 पर जारी की जाने वाली विभाग की दिशायतों की पालना करेगा।

प्रधान महापत्रा,  
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

प्रमाणित क्रमांक

दिनांक:- 29/11/99

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजिएगी:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, सिस्ता को उनके पत्र क्रमांक सी-11/99/11/99 दिनांक 11/11/99 के अन्दर्गत।
2. मुख्यअध्यापक सावन पब्लिक स्कूल बरनाला रोड सिस्ता।
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र, कम्युनिटी सेंटर, श्रील विहार, नई दिल्ली-110092

*M. K. Singh*  
*M. K. Singh*

*J. Singh*  
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,  
हरियाणा।  
*RE*

*M. K. Singh*  
Principal  
SAWAN PUBLIC SCHOOL  
Behind GTM, Vaidwala Road  
SIRSA-125055 (Haryana)  
School No. 40287